कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 13454/2019 हरिमोहन सिहरा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 में अप्रार्थीगण को एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11700/2019 राकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.07.2019 के आधार पर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी वर्तमान में रा.आ.उ.मा.वि. टीबा बसई, तहसील–खेतड़ी, जिला–झुन्झुनू में शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के पद पर कार्यरत है। याचिकार्थी की पत्नी वर्ष 2005 से गृह जिले दौसा में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत है। याचिकार्थी के कथनानुसार उसके माता–पिता क्रमशः 81 व 93 वर्ष के है, जो ज्यादातर बीमार रहते है तथा पत्नी के साथ दौसा में रहते है। पति–पत्नी के अलग–अलग जिले में पदस्थापित होने के कारण आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों एवं पति–पत्नी को एक ही मुख्यालय में रखने के नियम के आधार पर रा.उ.मा.वि. सिन्डोली/रा.मा.वि. बडोली/रा.उ.मा.वि. सिंगवाडा जिला दौसा में रिक्त पद पर स्थानान्तरण करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2019 में उल्लेखित एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11700/2019 राकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.07.2019 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल पडेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

याचिकार्थी द्वारा पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक ही स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर झुन्झुनू जिले से दौसा जिले में स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक के स्थानान्तरण हेतु शासन द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों में राजकीय सेवा में कार्यरत पति–पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश अंकित नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post."इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों एवं पत्नी के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर अन्तरजिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थी द्वारा झुन्झुनू जिले से दौसा जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जय/12964/2019

दिनांकः– 20.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को पत्रांक शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जय/निर्णय/29852/एच/19 के क्रम में।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जयपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झुन्झुनू
6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) झुन्झुनू
7. याचिकार्थी श्री हरिमोहन सिहरा पुत्र श्री भीरू राम सिहरा, शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III, रा.आ.उ.मा.वि. टीबा बसई, तहसील–खेतड़ी, जिला–झुन्झुनू(रजिस्टर्ड)
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)